79

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 2459-दो/2015 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-06-2015 - पारित व्दारा - राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया, तहसील सेमरिया जिला रीवा - प्रकरण कमांक 45 अ-12/2013-14

श्रीमती ललिता सिंह पत्नि लालबहादुर सिंह
ग्राम सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा ----आवेदक

विरूद्ध

1- भइयालाल पुत्र रामविसाल कुशवाह
ग्राम सेमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा

2- म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक क--1 के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 08 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया, तहसील सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 45 अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया, तहसील सेमरिया को आवेदन देकर उसके स्वत्व की ग्राम सेमरिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 326 के रकबा 0.743 हैक्टर के सीमांकन की मांग की। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 45 अ-12/2013-14 पॅजीबद्व किया तथा दिनांक 9-6-16 को सीमांकन कर आदेश दिनॉक 30-6-2015 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश से परिवेदित होकर

निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने अंतरिम आदेश दिनांक 9-6-15 में इस प्रकार अंकन किया है :-

पटवारी हलका सेमरिया द्वारा सीमांकन किया गया एंव सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 9-6-15 को प्रस्तुत । आपत्तिकर्ता ललिता सिंह द्वारा आपत्ति पेश। आपत्ति में नक्शा पूर्णतः गलत है एंव यह प्रकरण व्यवहार न्यायालय सिरमौर में विचाराधीन है एंव खसरा में रकबा कम है। अतः सीमांकन न किया जाय। आपत्तिकर्ता की आपत्ति सुना गया।

राजस्व निरीक्षक ने अंतरिम आदेश दिनांक 9-6-15 में उपरोक्तानुसार अंकन किया है किन्तु आगे की तिथि कौनसी रहेगी एंव पक्षकार कब उपस्थित रहें, आर्डरशीट में अंकित नहीं है एंव दिनांक 30-6-15 को अंतिम आदेश पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया दोषपूर्ण है। आवेदक की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत आवेदन के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिनमें तहसीलदार सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 349 अ-6-अ/14-15 में पारित आदेश दिनांक 13-5-16 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है इस आदेश का अंतिम पद इस प्रकार है -

संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ख.नं. 326 के नक्शा एंव अभिलिखित रकबा में भिन्नता बंदोवस्त के समय से ही है। नक्शा के अनुसार रकबा में बंदोवस्त के समय दर्ज रकबा में सुधार किया जाना अधिकारिता से परे है। एकड़ से हैक्टर में दर्ज किया गया रकबा पैमाना एंव लिपिकीय त्रृटि है जिसे सुधार किया जाना न्याय संगत है। पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार ख0नं0 326/1/1 में रकबा 0.743 के बजाय 0.243 है. एंव 326/3 के कालम नं. 2 में 1.462 के बजाय 0.962 है. दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। अनावेदकगण नक्शा के अनुसार बंदोवस्ती रकबा सुधार हेतु सक्षम न्यायालयच में अपना वाद प्रस्तुत कर सकते है।

तहसीलदार के उपरोक्त निर्णय से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 326 का रकबा विवादित है एंव नक्शा भी विवादित है और जब नक्शा विवादित है, विवादित नक्शे के आधार पर दिनांक 9-6-16 को की गई सीमांकन कार्यवाही दूषित है

जिसे राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 30-06-2016 से अंतिमता प्रदान करने में त्रुटि की है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया, तहसील सेमरिया जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 45 अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक वृत्त सेमरिया, तहसील सेमरिया जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 45 अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सेमरिया की ओर इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि वाद विचारित भूमि का नक्शा दुरूस्त होने के उपरांत अधीक्षक भू अभिलेख से ई.टी.एस.एम.मशीन से सीमांकन करावें तथा हितबद्ध पक्षकारों को पुनः सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर आदेश पारित किया जावे।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर